# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1392/2024**
तरूण मेहरा

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), वन विभाग, राजस्थान सरकार, अरण्य भवन, जयपुर।
4. विरेन्द्र सिंह, उप वन संरक्षक (प्रशासन), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (TREE), जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**आदेश की दिनांक** : 24.05.2024

**उपस्थिति :–**
अपीलार्थी की ओर से : श्री नितेश कुमार गर्ग, अभिभाषक
निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से : श्री देवेन्द्र सोलंकी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने संशोधित अपील प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 13.03.2024 (अनुलग्नक–1) एवं 16.03.2024 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है। आदेश दिनांक 13.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को उप वन संरक्षक, बूंदी से उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर स्थानान्तरित किया गया था एवं उसके पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 16.03.2024 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को उप वन संरक्षक, बूंदी में आदेश दिनांक 20.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरित किया गया था, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 21.02.2024 को कार्यभार ग्रहण किया था। इसके पश्चात अपीलार्थी को अल्पावधि में आदेश दिनांक 13.03.2024 के द्वारा जोधपुर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी ने उक्त आदेश दिनांक 13.03.2024 को इस अपील में चुनौती दी है और आदेश दिनांक 13.03.2024 पारित होने के तीन दिन बाद ही नवीन आदेश दिनांक

16.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का आदेश पारित किया गया है, जिस पर अपीलार्थी ने संशोधित अपील प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 13.03.2024 एवं 16.03.2024 को चुनौती दी है। अपीलार्थी का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को 22 दिन की अल्पावधि में उप वन संरक्षक, बूंदी से उप वन संरक्षक, वन्यजीव जोधपुर स्थानान्तरित किया गया है एवं उसके पश्चात अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, जो उचित नहीं है।

2. निजी प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 13.03.2024 की पालना में निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर उप वन संरक्षक, बूंदी के पद पर पदस्थापित किया गया था और अपीलार्थी को बूंदी से जोधपुर पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 13.03.2024 की पालना में निजी प्रत्यर्थी ने बूंदी में कार्यग्रहण भी कर लिया है। ऐसे में आदेश दिनांक 13.03.2024 की पालना की जा चुकी है।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी को राज्यहित में किसी भी स्थान पर जरूरत के अनुसार पदस्थापित किया जा सकता है। एक लोक सेवक के पदस्थापन/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निर्णय का क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है, कि वह अपने लोक सेवक को कब और कहां तथा किस समय स्थानान्तरण किसी भी स्थान पर कर सकता है।
4. हमनें समस्त पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.02.2024 के आदेश के द्वारा उप वन संरक्षक, बूंदी पदस्थापित किया गया था, फिर बाद में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.03.2024 के आदेश द्वारा उप वन संरक्षक, वन्यजीव जोधपुर के पद पर पदस्थापित किये जाने का आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात आदेश दिनांक 16.03.2024 के द्वारा पूर्व के आदेश में आंशिक परिवर्तन कर अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। वर्तमान में अपीलार्थी आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और उप वन संरक्षक, बूंदी में निजी प्रत्यर्थी ने कार्य ग्रहण कर लिया है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि वह किस कर्मचारी की सेवा किस स्थान पर प्राप्त करें। वर्तमान में अपीलार्थी को कहीं पदस्थापित नहीं किया गया है और उन्हीं आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने के बाद दो माह का समय

व्यतित हो चुका है। यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी जहां पूर्व में उप वन संरक्षक, बूंदी में कार्यरत था वहां पर वर्तमान में निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 कार्यरत है।

6. उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश देना उचित पाते हैं कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में नये सीरे से पदस्थापन आदेश दो सप्ताह में पारित करें। इस आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**